TO RELEASE ELECTRICITY CONNECTIONS.

SH. BISHAN LAL SAINI, MLA: Will the Power Minister be pleased to state whether it is a fact the electricity connections are not being released in the Odd colony of Radaur City; if so, the time by which there are likely to be released?

RANJIT SINGH POWER MINISTER, HARYANA

Sir, In the Odd Colony Radaur, there are 161 households out of which 108 no. electricity connections have already been released on the verification of Sarpanch, Gram Panchayat, Radaur before transfer of area under Municipal Committee, Radaur on 09.02.2016. As per the instructions of Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam, the electricity connections are released when applicant submit the proof of ownership of premises. After the transfer of colony under Municipal Committee, Radaur, the applications for release of electricity connections were applied without ownership proof, therefore the connections have not been released. The connections will be released if the application is submitted along with ownership proof or verification of premises by Municipal Committee, Radaur.

बिजली के कनैक्षन देना

302. श्री बिषन लाल सैनी, एम.एल.ए.: क्या बिजली मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि रादौर शहर की ओड कालोनी में बिजली के कनैक्शन नहीं जारी किए गए हैं; यदि हां, तो इनके कब तक जारी किए जाने की संभावना है ?

रणजीत सिंह, बिजली मंत्री, हरियाणा

श्रीमान, ओड कालोनी रादौर में 161 घर हैं जिसमें से 108 बिजली कनैक्शन 09.02.2016 को नगरपालिका समिति, रादौर के अधीन क्षेत्र के हस्तांतरण से पहले सरपंच, ग्राम पंचायत, रादौर के सत्यापन करने पर पहले ही जारी किए जा चुके है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के दिशा—निर्देशों के अनुसार, बिजली कनैक्शन तब जारी किए जाते है जब आवेदक घरों के स्वामित्व का प्रमाण प्रस्तुत करते है। नगरपालिका समिति, रादौर के अधीन कालोनी के हस्तांतरण के बाद, बिजली कनैक्शन जारी करने के लिए आवेदन स्वामित्व के प्रमाण के बिना अप्लाई किए गए थे, इसलिए कनैक्शन जारी नहीं किए गए। कनैक्शन तब जारी किए जाएंगे यदि नगरपालिका समिति, रादौर द्वारा घरों के सत्यापन अथवा स्वामित्व के प्रमाण सिहत आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे।